



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

विज्ञापन क्रमांक 07/2022/परीक्षा/दिनांक 01/02/2022

प्रकाशन की तिथि 02/02/2022

:: विज्ञापन ::

खनि अधिकारी, सहायक भौमिकीविद् एवं खनि निरीक्षक (खनिज साधन विभाग) के पद पर सीधी भर्ती

ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 15/02/2022 मध्यान्ह 12:00 बजे से 16/03/2022 रात्रि 11:59 बजे तक

महत्वपूर्ण

- विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा चाहे वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अधिकारीता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। परीक्षा/साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जाँच करता है।
- उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/कैश डिपोजिट के माध्यम से किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राइपट अथवा चेक स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
- उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 15/02/2022 को मध्यान्ह 12:00 बजे से 16/03/2022 रात्रि 11:59 बजे तक www.psc.cg.gov.in पर किए जा सकेंगे।
- ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 17/03/2022 अपरान्ह 12:00 बजे से 21/03/2022 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य उक्त सुधार करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 22/03/2022 को मध्यान्ह 12:00 बजे से 26/03/2022 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा।
- ऑनलाइन आवेदन में सशुल्क त्रुटिसुधार का कार्य त्रुटिसुधार करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 22/03/2022 को मध्यान्ह 12:00 बजे से 26/03/2022 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु ₹.100/- (रुपये एक सौ) शुल्क लिया जाएगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा।
- श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

(1) भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के खनिज साधन विभाग के अंतर्गत खनि अधिकारी, सहायक भौमिकीविद् एवं खनि निरीक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण नीचे की तालिका में दर्शित है:-

स.क्र.	पद तथा विभाग का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				छ.ग. भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग	वेतन मैट्रिक्स
		अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	खनि अधिकारी	3	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	01 (OA, OL)	7	वेतन मैट्रिक्स
	बैकलॉग	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	लेवल-12
	योग	3	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-		8	
2	सहायक भौमिकीविद्	3	1	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	01 (OA, OL, HH)	8	वेतन मैट्रिक्स
	बैकलॉग / कैरीफॉर्मर्ड	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3	लेवल-12
	योग	4	1	5	1	1	-	1	-	-	-	-	-		11	
3	खनि निरीक्षक	2	1	2	1	3	1	5	-	1	-	1	-	-	6	वेतन मैट्रिक्स
	बैकलॉग / कैरीफॉर्मर्ड	10	3	16	-										29	लेवल-7
	योग	12	4	18	1	3	1	5	-	1	-	1	-		35	
															54	

Abbreviations used:- OA-One Arm, OL-One Leg, HH-Hearing Handicapped

महत्वपूर्ण टीप :-

- पदों की संख्या परिवर्तित हो सकती है।
- यह विज्ञापन संबंधित विभाग के मांग-पत्र के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है।
- उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिकाओं (क्रमांक 591/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 592/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 593/2012 तथा रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 594/2012) में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगी एवं माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किये गये पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।

- छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी निःशक्तजन ही मान्य होंगे।

5. (i) रिक्तियों में आरक्षण :-

- उपरोक्त तालिका के कालम नंबर 4, 5 एवं 6 में दर्शित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं एवं उपरोक्त तालिका के कॉलम नंबर 7, 8, 9 एवं 10 केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित है।
- (ii) छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी (छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित अन्य राज्य के अभ्यर्थी) के आवेदन अनारक्षित श्रेणी

- के अन्तर्गत आएंगे।
6. ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी परिशिष्ट 'तीन' में उल्लेखित है।
7. ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उहें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनहूं (Ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता / चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।
- (2) पद का विवरण, वेतनमान एवं शैक्षणिक अर्हता :-
- (A) पद का नाम :- खनि अधिकारी एवं सहायक भौमिकीविद् (iii)
- (i) सेवा श्रेणी :- राजपत्रित-द्वितीय श्रेणी
- (ii) वेतनमान रूपये :- 56100 (स्तर-12)
- इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
- (iii) आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं :-
- (a) भू-विज्ञान (जियोलॉजी) में स्नातकोत्तर की उपाधि या प्रायोगिक भू-विज्ञान में अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान (एप्लाईड जियोलॉजी) में एम.टेक उपाधि।
- (B) पद का नाम :- खनि निरीक्षक
- (i) सेवा श्रेणी :- अराजपत्रित-तृतीय श्रेणी
- (ii) वेतनमान रूपये :- 28700 (स्तर-7)
- इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
- (iii) आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं एवं शारीरिक मापदण्ड :-
- (a) शैक्षणिक अर्हताएं:- भू-विज्ञान सहित विज्ञान में स्नातक उपाधि अथवा माइनिंग इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि।
- (b) शारीरिक मापदण्ड:- (अ) पुरुष अभ्यर्थी के लिए ऊँचाई 165 से.मी. से कम नहीं होना चाहिए तथा सीने का न्यूनतम माप 81 से.मी. (सामान्य स्थिति में) तथा फुलाने पर कम से कम 4 से.मी. का अंतर होना चाहिए। (ब) महिला अभ्यर्थी के लिये ऊँचाई 152 से.मी. से कम नहीं होनी चाहिए।
- (3) परिवेक्षा अवधि :- चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवेक्षा पर की जाएगी।
- अवधि में निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा:-
- प्रथम वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत,
- द्वितीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत,
- तृतीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत,
- परन्तु परिवेक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होंगे।
- (ख) परिवेक्षा अवधि की समाप्ति पर, जब वह सेवा या पद पर स्थाई किया जाता है, तब शासकीय सेवक का वेतन, उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जायेगा।
- महत्वपूर्ण नोट:-**
- (i) अभ्यर्थी के पास उपरोक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हता ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है।
- (ii) ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।
- (4) निर्धारित आयु सीमा:-
- अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2022 को 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट होगी।
- (i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी:-
- (ii) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का हो तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।
- (iii) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या कांटिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।
- (iv) ऐसा अभ्यर्थी जो छठनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु उसके परिणाम-स्वरूप उच्चतम आयु सीमा, तीन वर्ष से अधिक न हो। स्पष्टीकरण:- "छठनी किये गये सरकारी सेवक" से तात्पर्य है जो इस राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।
- (v) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।
- (vi) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2016/1-3 नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।
- (vii) छत्तीसगढ़ विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी।
- (viii) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतीयों के सर्वण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- (ix) राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित "शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुणधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं" को उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- (x) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 नया रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।
- (xi) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 20-4/2014/आ.प्र./1-3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 एवं 17.11.2014 के अनुसार निःशक्तता से ग्रस्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- (xii) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई

सेवा की उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

महत्वपूर्ण टीप:-

- (i) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2 / 2002 / 1-3 रायपुर दिनांक 15.06.2010 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है, किन्तु परिपत्र क्रमांक एफ 3-2 / 2015 / 1-3 नया रायपुर, दिनांक 30.01.2019 में दिए गए निर्देश के अनुसार राज्य शासन के सभी विभागों/कार्यालयों में सीधी भरती के पदों में की जाने वाली भरती में छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 में 05 वर्ष की छूट कैलेण्डर वर्ष 2018 तक प्रदान की गई थी, उक्त अवधि दिनांक 31.12.2018 को समाप्त हो गई है।

छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 05 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2023 अर्थात् 05 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत् रहेंगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- (ii) आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट (विधवा, महिला, अनुजनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक) स्थानीय निवासियों को प्राप्त होगा।
- (iii) आयु की गणना दिनांक – 01.01.2022 के संदर्भ में की जाएगी।
- (5) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, पंजीयन, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन–पत्र भरें। परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अहं मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन–पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।

- (6) साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना:- साक्षात्कार के पूर्व अनुप्राणन फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी।
- (i) आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र। अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
- (ii) विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूची।
- (iii) पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण–पत्र यथा–स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि, पंजीयन, अनुभव आदि जो संबंधित पद के लिए आवश्यक है, की स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें, कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं को अंतिम तिथि तक धारित करता है।

- (iv) जाति प्रमाण पत्र :-
(a) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की

श्रेणी में आता है तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट (आयु/शुल्क/आरक्षण) का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।

(c) अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर क्रीमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर क्रीमीलेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अन्तर्गत आने के प्रमाण हेतु ऐसा आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा जो आवेदन करने की तिथि से पूर्ववर्ती 3 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ हो।

(d) यदि निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है तो निम्न दस्तावेज़/प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें:-

(i) तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

(ii) विज्ञापन की कंडिका – 4(i), 4(ii), 4(iii), 4(iv) एवं 4(xi) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण–पत्र।

(iii) विज्ञापन की कंडिका – 4(vi) के अन्तर्गत तलाकशुदा महिलाओं के उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिये जिला मजिस्ट्रेट/सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र।

(iv) विज्ञापन की कंडिका – 4(vii) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिये जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र।

(v) विज्ञापन की कंडिका – 4(viii) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए “शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार” प्राप्त होने का प्रमाण–पत्र।

(vi) विज्ञापन की कंडिका – 4(ix) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए “सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संविदा अनुभव” का प्रमाण–पत्र।

(vii) विज्ञापन की कंडिका – 4(x) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए “सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्ता” का प्रमाण–पत्र।

(7) नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र :-

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को “अनापत्ति प्रमाण–पत्र” सीधे आयोग को भेजने के लिए निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए।

(ii) यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा।

(iii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार “अनापत्ति प्रमाण पत्र” प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति

क्रमशः-

निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग / शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन रखीकार नहीं किया जाएगा।

(8) आपराधिक अभियोजन :-

- (A) ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया हो:-
- (i) जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या
 - (ii) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो, किया हो, या
 - (iii) फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो, या
 - (iv) चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सामूहित जानकारी छिपायी हो, या
 - (v) परीक्षा / साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या
 - (vi) परीक्षा / साक्षात्कार कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
 - (vii) परीक्षा / साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या
 - (viii) प्रवेश-पत्र / बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दिये गये किन्तु भी निर्देशों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष / सहायक केन्द्राध्यक्ष / वीक्षक / प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दिये गये निर्देश भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या
 - (ix) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या
 - (x) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भवन परिसर / परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन / संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो।
- (B) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकती है-
- (i) आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती और / या
 - (ii) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवरित किया जाएगा-
 - (a) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से।
 - (b) राज्य शासन द्वारा या / उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकता है, और
 - (c) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शासित तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि-

- (i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और
- (ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।

(9) अनर्हता : छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी :-

- (i) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पनियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पनि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र

नहीं होगा / नहीं होगी।

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकता है।

(ii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकते वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।

परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकता है कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकती हैं।

(iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

(iv) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

(v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(10) चयन प्रक्रिया :- विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार परीक्षा / साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन, निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं अथवा उच्च योग्यताओं अथवा दोनों के आधार पर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या सीमित करते हुए आयोग द्वारा "कैवेल" साक्षात्कार द्वारा अथवा परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

टीप:- यदि विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो निम्नानुसार चयन किया जाएगा:-

(i) उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।
(ii) परीक्षा योजना परिशिष्ट-एक एवं पाठ्यक्रम परिशिष्ट-दो में प्रकाशित है।

(iii) परीक्षा हेतु रायपुर परीक्षा केन्द्र होगा।

(11) ऑनलाईन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क :-

(i) छत्तीसगढ़ के मूल / स्थानीय निवासी, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेल्यर) की श्रेणी में आते हैं एवं निःशक्तता से ग्रस्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए रुपये 300/- (रुपये तीन सौ) तथा शेष सभी श्रेणी के लिए एवं छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए रुपये 400/- (रुपये चार सौ) आवेदन शुल्क देय होगा।

(ii) एक से अधिक पदों हेतु ऑनलाईन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन शुल्क जमा करना होगा।

(12) ऑनलाईन आवेदन तथा त्रुटि सुधार की समयावधि समाप्त होने के उपरांत विशेष प्रकरण मानते हुए अभ्यर्थियों को केवल जन्मतिथि, लिंग, वर्ग, मूल निवास, दिव्यांगजन एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधित त्रुटियों में ही सुधार का अवसर विज्ञापन में दर्शित समयावधि के लिए सञ्चुल्क दिया जाएगा।

सञ्चुल्क त्रुटि सुधार हेतु संबंधित अभ्यर्थी से एक या अधिक त्रुटियों के सुधार के लिए रुपये 100/- का शुल्क लिया जाएगा। यदि किसी

- अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग/उपवर्ग से अनारक्षित वर्ग के रूप में त्रुटि सुधार किया जाए तो अभ्यर्थी से आवेदन शुल्क के अंतर की राशि भी ली जाएगी।
- (ii) सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में पोर्टल शुल्क तथा पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे।
 - (iii) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार से त्रुटि सुधार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।
 - (iv) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् संबंधित अभ्यर्थी के डाटा को अंतिम माना जाएगा तथा साक्षात्कार/अंतिम चयन के पूर्व दस्तावेज परीक्षण के दौरान उक्त डाटा का मूल दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन किया जाएगा।
 - (v) सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया पूर्णतः ३० दिनों में होगी।

(13) परीक्षा के संबंध में:-

(यदि परीक्षा लेने का निर्णय लिया जाता है तो)

- (i) आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अतः इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (ii) परीक्षा के दौरान यदि किसी परीक्षार्थी को किसी प्रश्न या उत्तर विकल्प में किसी प्रकार की मुद्रण संबंधी त्रुटि, या प्रश्न त्रुटिपूर्ण होने/उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण होने या अन्य प्रकार की त्रुटि की शिकायत करना है तो उसे आयोग द्वारा दिये गये निर्धारित समयावधि में ३० दिनों में आपत्ति दर्ज करनी होगी एवं तत्संबंध में आवश्यक दस्तावेज परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नार्थ ब्लाक, सेक्टर-१९, नवा रायपुर अटल नगर को रजिस्टर्ड/पोर्स्ट/व्यक्तिगत रूप से आयोग में जमा कर सकते हैं।

(14) यात्रा व्यय का भुगतान :-

- (i) छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थी हैं, छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन परीक्षा में सम्मिलित होने पर साधारण दर्ज का वास्तविक टिकिट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थियों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा—पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित आवश्यक सभी प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने होंगे। अतः वे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण—पत्र की स्वयं के द्वारा अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि तथा यात्रा टिकिट घोषणा पत्र के साथ संलग्न करें, तभी उन्हें टिकिट किराया दिया जाएगा।
- (ii) साक्षात्कार के लिये – साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले उपरोक्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों को साधारण दर्ज का वास्तविक टिकिट किराया राशि का भुगतान नियमानुसार कंडिका 14(i) में उल्लेखित वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।
- (15) आयोग के प्रक्रिया नियम-2014 (यथा संशोधित) के अनुसार विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर यदि आयोग द्वारा सीधे साक्षात्कार लिए जाने का निर्णय लिया जाता है तो, साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा तथा साक्षात्कार में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उमीदवारों के मामले में न्यूनतम 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- (16) किसी भी लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार से संबंधित प्राप्तांकों की सूची तभी जारी की जाएगी, जब संबंधित विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापित पदों हेतु अंतिम चयन सूची जारी कर दी जाए।
- (17) विज्ञापित में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन (Interpretation):-

इस विज्ञापित में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार आयोग का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

सही/-
(जीवन किशोर ध्रुव)
सचिव
छ.ग. लोक सेवा आयोग
नवा रायपुर अटल नगर

परिशिष्ट-एक,
“परीक्षा योजना”

- (1) चयन दो चरणों में होगी, प्रथम चरण परीक्षा एवं द्वितीय चरण साक्षात्कार।
- | | | | | | | | | |
|-------------|---|---------|--|--|--|--|--|--|
| परीक्षा | — | 300 अंक | | | | | | |
| साक्षात्कार | — | 30 अंक | | | | | | |
| कुल | — | 330 अंक | | | | | | |
- (2) परीक्षा:-
 परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के एक प्रश्न पत्र निम्नानुसार होगा:-
- | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| प्रश्न पत्र | | | | | | | | |
| प्रश्नों की संख्या | 150 | 3:00 घंटे | अंक 300 | | | | | |
| भाग 1 – सामान्य ज्ञान | | | — 50 प्रश्न (100 अंक) | | | | | |
| भाग 2 – भू-विज्ञान | | | — 100 प्रश्न (200 अंक) | | | | | |
| कुल | — | 150 प्रश्न (300 अंक) | | | | | | |
- (3) परीक्षा के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ (बहु विकल्प प्रश्न) प्रकार के होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिये पांच संभाव्य उत्तर होंगे जिन्हें अ, ब, स और द में समूहीकृत किया जाएगा जिनमें से केवल एक उत्तर सही/ निकटतम सही होगा, उम्मीदवार को उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णित सही/निकटतम सही माने गये अ, ब, स या द में से केवल एक विकल्प का चयन करना होगा।
- (4) प्रश्न पत्र में ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन हेतु निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाएगा:-
- $$MO = M \times R - \frac{1}{3} M \times W$$
- जहां MO = अभ्यर्थी के प्राप्तांक, M = एक सही उत्तर के लिए निर्धारित प्राप्तांक अथवा प्रश्न विलोपित किए जाने की स्थिति में पुनः निर्धारित प्राप्तांक, R = अभ्यर्थी द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या तथा W = अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या है। उक्त सूत्र का प्रयोग कर प्राप्तांकों की गणना दशमलव के चार अंकों तक की जाएगी।
- (5)(i) सहायक भौमिकीविद् पद के लिए प्रश्नपत्र का भाग-1 हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम में तथा भाग-2 केवल अंग्रेजी माध्यम में होगा।
- (ii) खनि निरीक्षक पद के लिए प्रश्नपत्र भाग-1 एवं भाग-2 हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम में होगा।
- (6) पाठ्यक्रम की जानकारी परिशिष्ट-दो में दी गई है।
- (7) लिखित / कौशल / अनुवीक्षण परीक्षा में अनारक्षित तथा अनारक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। आरक्षित वर्ग एवं आरक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 23 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उसे अनर्ह घोषित किया जाएगा।
- साक्षात्कार:- साक्षात्कार के लिए कोई अर्हकारी न्यूनतम अंक नहीं है।
- (8) आयोग के प्रक्रिया नियम-2014 के अनुसार विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर यदि आयोग द्वारा सीधे साक्षात्कार लिए जाने का निर्णय लिया जाता है तो, साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा। साक्षात्कार में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- (9) साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या, विज्ञापन में दिए गए रिक्त स्थानों की संख्या से लगभग तीन गुनी होगी। केवल वे उम्मीदवार, जिन्हें आयोग द्वारा परीक्षा में अर्ह घोषित किया जावेगा, वे साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे।
- (10) चयन सूची:- उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणानुक्रम एवं प्रवर्गवार किया जाएगा।
- (11) चयन प्रक्रिया आयोग के प्रक्रिया नियम-2014 के अनुसार प्रावधानित होगी।

□□□□□

परिशिष्ट-दो
“पाठ्यक्रम”

भाग-१ :: सामान्य ज्ञान ::

1. भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन।
2. छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छ.ग. का योगदान।
3. भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। (छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में)
4. भारत का संविधान एवं राजव्यवस्था, छ.ग. का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज।
5. भारत की अर्थव्यवस्था, वाणिज्य, उद्योग, वन, कृषि एवं हाथकरघा उद्योग। (छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में)
6. छ.ग. की जनजातियां, बोली, तीज, त्यौहार, नृत्य, पुरातात्त्विक एवं पर्यटन केंद्र
7. समसामायिक घटनाएं एवं खेल (भारत एवं छ.ग. के संदर्भ में)
8. पर्यावरण।

PART-1 :: GENERAL KNOWLEDGE ::

1. History of India and Indian national movement.
2. History of Chhattisgarh and Contribution of Chhattisgarh in national movement.
3. Physical, Social and Economic geography of India. (With special reference to Chhattisgarh)
4. Constitution of India and Polity, Administrative structure of Chhattisgarh, Local Government of Chhattisgarh and Panchayati Raj.
5. Economy, Commerce, Industry, Forest, Agriculture and Handloom Industry of India. (With special reference to Chhattisgarh)
6. Tribes, Special tradition, Teej and festival, Dance, archaeological and tourist centres of Chhattisgarh.
7. Current affair and sports (With reference to India and Chhattisgarh)
8. Environment.

PART-2 (A) :: GEOLOGY (For Mining Officer and Assistant Geologist) ::

1. STRUCTURAL GEOLOGY:-

1. Mechanics of folding and buckling. Fold development and distribution of strain in folds. Superimposed folding and interference patterns.
2. Fractures and joints, their nomenclature, age relationship, origin and significance.
3. Causes and dynamics of faulting, strike-slip faults, normal faults, over thrust and nape.
4. Planar and linear fabrics in deformed rocks, their origin and significance.
5. Concept of Petrofabrics and tectonics axes.
6. Types of fabric, fabric elements, and interpretation of fabric data on microscopic and macroscopic scale.

2. GEOMORPHOLOGY & REMOTE SENSING:-

1. Dynamics of geomorphology and geomorphic processes.
2. Study of fluvial, arid, karts and glacial landforms.
3. Study of volcanic, structural and coastal landforms.
4. Morphometric analysis. Geomorphologic mapping based on genesis of landforms.
5. Geomorphic regions of India. Principles of terrain analysis.
6. Electromagnetic Spectrum and principles of remote sensing.
7. Satellite remote sensing, Global and Indian space missions, Satellite exploration programmes and their characteristics - LANDSTA, METEOSAT, SEASAT SPOT, and IRS.
8. Aerial photography, aerial photographs and their geometry.

9. photogrammetry.
10. Recent advances in aerial photography. Application of aerial photography in rock type identification.
11. Image interpretation and digital processing techniques.
12. Image Characters and their relations with ground objects.
13. Interpretation of topographic and tectonic features.
14. Application of remote sensing in groundwater evaluation.
15. Application of remote sensing in terrain evaluation.
16. Terrain evaluation for strategic purposes.

CRYSTALLOGRAPHY:-

1. Morphology of crystals, crystal zones, and zone symbols.
2. Classification of crystals in 32 classes. Crystal Projections.
3. Crystal aggregates, twinning and irregularities in crystals.
4. Crystal optics, pleochroism, interference and birefringence in minerals.
5. Refractometry and its determination. Uniaxial and biaxial indicatrices and optical characters of uniaxial and biaxial minerals.

4. MINERALOGY:-

1. Dispersion in minerals, optic orientation, optical anomalies. Universal stage and its use.
2. Classification of silicate structure, systematic mineralogy of nesosilicates olivine, Garnet and Al_2SiO_5 groups.
3. Systematic mineralogy of sorosilicates - Epidote group; and zircon, topaz, staurolite, and sphene.
4. Systematic mineralogy of Cyclosilicates-Cordierite, Tourmaline and Beryl.
5. Systematic mineralogy of Ionosilicates- Pyroxene and Amphibole groups.
6. Systematic mineralogy of tectosilicates - Silica, Feldspar, Felspathoid, and zeolite groups.
7. Systematic mineralogy of phyllosilicates - Mica, Chlorite, Serpentine groups and Clay minerals, kaolinite and talc.
8. Systematic mineralogy of carbonates, oxides and hydroxides.
9. Mineral assemblages, Gem and Semiprecious stones.

GEOCHEMISTRY:-

1. Origin and abundance of elements in the solar system and in the earth. Geology and chemistry of Moon.
2. Atomic structure and properties of elements in the periodic table. Special properties of transition and Rare earth elements.
3. Geochemical classification of elements.
4. Radiogenic isotopes. Radioactive decay Schemes U-Pb, Sm-Nd, Rb-Sr, K-Ar, and growth of daughter isotopes. Radiometric dating of single minerals and whole minerals.
5. Stables isotopes : nature, abundance and fractionation.
6. Law of thermodynamics: concept of free energy, activity, fugacity and equilibrium constant. Thermodynamics of ideal, nonideal and dilute solutions. Principles of ionic substitution in minerals.
7. Element partitioning in mineral/rock formation and concept of simple distribution coefficients and exchange reaction distribution coefficients.
8. Element partitioning in mineral assemblages and its use in P-T estimation.
9. Principles and geological application of atomic absorption spectrometry, inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry.
10. Scanning and transmission electron microscopy, electron-probe microanalysis, XRF: Principles and application in geology.
11. Aquatic chemistry - Acid Base reactions, Dissolution and precipitation of CaCO_3 , solubility of Mg, SiO_2 and $\text{Al}(\text{OH})_3$.

STRATIGRAPHY/TECTONICS:-

1. Concept of stratigraphy and its significance. Stratigraphic scales, dual classification.

2. Lithostratigraphy, correlation and serigraphic code.
3. Rules of Stratigraphic nomenclature: Sequence stratigraphy, Geochronology and Chronostratigraphy.
4. Plate tectonics. Dynamic evolution of continental and oceanic crust.
5. Evolution of sedimentary basins. Tectonics and sedimentation.
6. Tectonics of Precambrian orogenic belts of India.
7. Formation of mountain roots. Anatomy of orogenic belts.
8. Structure and origin of Alpine-Himalayan belt.
- 7. IGNEOUS PETROLOGY:-**
1. Physics of Magma generation in the mantle
 2. Evolution of Magma.
 3. Phase equilibrium of single, binary, ternary, and quaternary silicate systems, its relation of magma generation.
 4. Crystallization of granitic and basaltic magma in the light of modern experimental work.
 5. Forms, structures and textures of igneous rocks and their physico-chemical work.
 6. Criterion of classification of igneous rocks, norms_CIPW and niggli values, zavaritski number,
 7. Petrogenesis of major igneous rocks types with reference to Indian occurrence.
 8. Tholeitic basalt and alkali olivine basalt.
 9. Andesite-rhyolite, Trachy-basalt, trachy-andesite and trachy-phnolite families.
 10. Granite and granodiorite.
 11. Peridotite , ultramafite, komatiite,
 12. syenite, cobronatite and lamprophyre.
 13. Rock suite, series: Petrographic provinces and association.
 14. Definition, agents and kind of metamorphism.
 15. Mineralogical phase rule of closed and open systems and its application in metamorphism.
- 8. METAMORPHIC PETROLOGY:-**
1. Classification of metamorphic rocks. Structures and fancies series.
 2. Concept of depth zone and metamorphic zones and subfacies resulting from low to high- pressure metamorphism.
 3. Study of characteristic metamorphic zones and subfacies resulting from very low pressure metamorphism.
 4. Study of characteristic metamorphic zones and subfacies resulting from very high pressure metamorphism.
 5. Nature of metamorphic reactions and P-T condition of metamorphism. Isoreaction grad, Schreinmakers rule and construction of petrogenetic grids, crystalloblastic series.
 6. metromorphic differentiation. Anatexis and origin of migmatites in the light of experimental studies.
 7. Regional metamorphism and paired metamorphic belts in reference to plate tectonics. P-T time paths.
 8. Ultra high temperature, ultra-high pressure, and ocean floor metamorphism.
 9. Principle types and characters of metamosophism, grainitization.
 10. Petrogenesis of Charnockite, amphibolite, eclogite, gondite, greenschist, khondalite and granulites with special reference to Indian occurrences.
- 9. SEDIMENTOLOGY:-**
1. Earth surface system: Liberation and flux of sediments.
 2. Processes of transport and generation of sedimentary structures.
 3. Stromatolites and their significance.
 4. Textural analysis, Graphical representation and statistical treatment of grain size data and their significance.
 5. Classification of sandstone and carbonate rocks. Dolomite and Dolomitization.
 6. Sedimentary environments and facies.
 7. Continental : alluvial-fluvial facies, lacustrine, Desert-aeolian and glacial sedimentary environmental.
 8. Shallow coastal clastics and shallow water carbonates.
9. Marine and continental evaporites.
10. Deep-sea basins. Paleocurrents and basin analysis,
11. Clastic petrofacies. Paleoclimate and paleo environment analysis.
12. Digenesis and flood flow. Digenesis of mudstones.
13. Digenesis of sandstone and carbonate rocks: Changes in mineralogy, Fabric and chemistry.
14. Chemistry of natural waters. Mineral stability in Eh-pH Diagram.
15. Rock Weathering and soil formation.
16. Elemental mobility in surface environment.
17. Concept of geochemical-biogeochemical cycling and global climate.
18. Application of trace element, rare earth element and stable isotope geochemistry to sediment logical problems.
- ORE GEOLOGY:-**
1. Modern concepts of ore genesis. Spatial and temporal distribution of ore deposits-A global perspective. Comparison between earth's evolutionary history and evolutionary trends ore deposits
 2. Concept of ore bearing fluids, their origin and migration. Fluid inclusions in ores principles, assumptions, limitations and applications.
 3. Taxture, paragensis, and zoning of ores and their significance.
 4. Wall rock alteration, structural, physico-chemical and stratigraphic control of ore localization
 5. Chemical composition of important ores-Bulk chemistry, trace elements, REE and stable and radiogenic isotopes.
 6. Organic matter in ores
 7. Orthomagmatic ores of mafic-ultramafic associations- Diamond in Kimberlites, REE in Carbonatites, Ti-V Ores, Chromite and PGE, Ni Ores, Cyprus type Cu-Zn Ores.
 8. Ores of Silicic igneous rocks- Kiruna Type Fe-P, Pegmatoids, Greisen, Skarns.
 9. Porphyry associations, Kuroko Type Zn-Pb-Cu, Malanjkhand type Cu-Mo.
 10. Ores of sedimentary affiliations-Chemical and clastic sediments, Stratiform and strata bound ore deposits (Fe,Mn,Nonferrous,) Placers and paleoplacers.
 11. Ores of Metamorphic affiliation-Metamorphism of ores and Ni/Au laterite ores, ores related to weathered surfaces-leterite, Bauxite and Ni/Au laterite
 12. Mineralogy, Genesis, uses and Indian distribution of ore minerals related to:
 - (a) Pb, Zn
 - (b) Fe, Mn, Cr
 - (c) W, Al
 - (d) U and Th
- GEOCHEMICAL EXPLORATION:-**
1. Definition, scope and characteristic features of prospecting and exploration. Guides for mineral search, search, surface and subsurface indicators. Regional, stratigraphic, lithological, mineralogical structural and geobotanical guides.
 2. Sampling and its methods, Assay value and grade of ore, Ore reserves, Ore reserve categories, Estimation of ore resaves Persistence of ore in depth.
 3. Principles of geochemical prospecting. Geochemical and geobotanical surveys.
 4. Geochemical dispersion patterns and anomalies.
 5. Geological and Geochemical prospecting for copper, lead, zinc, nickel, oil and gas and atomic minerals.
- GEOPHYSICAL EXPLORATION:-**
1. Variation of gravity over type surface of the earth. Principles of gravimeters. Gravity fields surveys. Various types of correction applied to gravity data. Preparation of gravity anomaly maps and their interpretation in terms of shape, size and depth.
 2. Geomagnetic field of the earth. Magnetic properties of magnetic anomaly magnetometer. Field surveys and data reduction.

- Preparation of magnetic anomaly maps and their interpretation. Magnetic anomalies due to single pole and dipole Aeromagnetic survey.
3. Basic principles of resistivity methods. Various types of electrode configuration. Field procedure of profiling and sounding. Application of electrical methods in groundwater prospecting and civil engineering problems.
 4. Fundamental principles of wave propagation in seismic method. Refraction and reflection survey for single interface, horizontal and dipping cases, seismic velocity and interpretation of seismic data.
 5. Brief outline of various well-logging techniques, Principles of electrical logging and its application in petroleum, ground water and mineral exploration, Basic principles and instrumentation of radioactive method of exploration.
- 13. MINING GEOLOGY:-**
1. Definition of various mining terms. Mining excavation. Filling for rock breaking and blast hole patterns.
 2. Ventilation and drainage in mining. Mining hazards.
 3. Alluvial and open pit mining methods – advantages and disadvantages.
 4. Underground and mining methods – gophering, Shrinkage, stoping, caving, slicing methods.
 5. Coal mining and ocean bottom mining methods.
- 14. ENVIRONMENT GEOLOGY:-**
1. Concept of ecosystem/ecology.
 2. Impact of man on environment.
 3. Problems pertaining to mining and utilization of energy resources.
 4. Problems pertaining to urbanization.
 5. Problems pertaining to wasteland and wet lands.
 6. Characterization of volcanoes.
 7. Impact of volcanoes on weather and climate.
 8. Earthquake-severity, distribution and occurrence.
 9. Natural and human induces causes of earthquakes.
 10. Land use planning in earthquake prone areas.
 11. Landslides – Their causes (natural and man made.) Prevention and planning
 12. Floods – physical characteristics.
 13. Origin and causes of flooding, Prevention of soil cover loss.
 14. Human influence on climate and weather changes. Global warming and ozone layer depletion.
 15. Coastal environments – Salinization. Desertification.
 16. Coastal water pollution.
 17. Air pollution- acid precipitation, weather and climatic effects.
 18. Water pollution – Impact of waste disposal (Soil/liquid) on water quality degradation.
 19. Environment management – Definition of Problem and Objectives.
 20. Role of the geologist in urban area planning
 21. Natural resource management and natural hazards.
 22. Environmental policies of the country.
 23. Environmental law.
- भाग-2 (ब) :: भू-विज्ञान (खनि निरीक्षक के लिए) ::**
1. सामान्य भू-विज्ञान:- पृथ्वी की उत्पत्ति तथा आंतरिक संरचना का प्रारंभिक ज्ञान, रेडियो एकिटप पद्धति से चट्टानों का तिथि निर्धारण, पृथ्वी की आयु, ज्वालामुखी उनके कारण तथा उत्पत्ति, ज्वालामुखी क्षेत्र, भूकम्प उनके कारण, भू-गर्भीय प्रभाव तथा भूकम्पीय तथा ज्वालामुखी क्षेत्र का संबंध, भू-अभिनति तथा उनके वर्गीकरण, समस्थिति पहाड़ उनके आकार तथा उनकी उत्पत्ति, महाद्विपीय विश्वापना संबंधी संक्षिप्त विचार महाद्विपीय तथा महासागरों की उत्पत्ति।
 2. भू-आकृति विज्ञान:- भू-आकृति विशिष्टता, स्थलाकृति, स्थलाकृतिक संरचनाओं तथा भू-आकृति विज्ञान से उसका संबंध, प्रमुख भू-आकृतियां, जल विकास पद्धति, भारतीय उप महाद्वीप का भू-आकृतिक विशेषताएं।
 3. संरचनात्मक भू-विज्ञान:- बलन एवं ब्रंश उनका नामकरण, वर्गीकरण उहैं पहचानना तथा दृश्यांशों पर उनका प्रभाव, संघि उनका वर्गीकरण तथा महत्व, विषयक
- विन्यास अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, पुरान्त साथी तथा नवांत साथी, शल्कन तथा संरेखण की परिभाषा तथा वर्गीकरण, नवीन संस्तरों की अभिदिशा सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष तथा अधस्थल कस्टोटी।
- स्तरित शैल विज्ञान:-** स्तरिकी के सिद्धान्त स्तरिक वर्गीकरण तथा नाम पद्धति, मानक स्तरित माप, भारतीय उपमहाद्वीप के शैल समूहों का विस्तृत अध्ययन, भू-वैज्ञानिक अतीत के दौरान भारतीय उप महाद्वीप में जलवायु तथा अग्रिय कार्यकलापों का संक्षिप्त अध्ययन, पुरामौगीलिक पुनर्निर्माण।
- खनिज विज्ञान:-** क्रिस्टल रसायन के तत्त्व बंधन के प्रकार, आयनिक रेडों समन्वय संस्था के प्रकार, समाकृति कूटरूपिता, सिलिकेटों संरचनात्मक वर्गीकरण, निम्नलिखित शैल निर्माणकारी खनिजों का भौतिकीय रासायनिक एवं प्रकाशीय गुणों के आधार पर अध्ययन जैसे फेल्सपार, पाइरोक्सीन, एम्पीबोल्स, अब्रक, गार्नेट, ऑलिवीन फेल्सपिथाइड, स्फटिक, कैलसाइट, कायानाइड ऐन्डालूसाइट सिलेमेनाइट।
- शैलीकीय विज्ञान:-** मैग्मा, इसका उत्पादन, मैग्मा की प्रकृति तथा संगठन, द्विआंगी तथा त्रिआंगी पद्धतियों के सरल अवस्था आरेख (डायग्राम) तथा उनका महत्व, बावेन तथा त्रिआंगी पद्धतियों के सरल अवस्था आरेख (डायग्राम) तथा मैग्मा का गठन और संरचना तथा उनका शैल संबंधी महत्व, आग्नेय, शैलों का वर्गीकरण, महत्वपूर्ण शैल प्रकारों का शैलीय तथा शैल जनन महत्व। अवसादी शैलों के निर्माण की प्रक्रिया पसंधन तथा अध्यमीभवन, अवसादी शैलों का गठन संरचना तथा उनका महत्व, खण्डजां तथा अखण्डजों अवसादी शैलों का वर्गीकरण।
- मूल अध्ययन में भारी खनिज तथा इनका महत्व, सामान्य शैल प्रकारों का शैलीकीय अध्ययन।
- कायान्तरण के परिवर्तनशील तत्व,** कायान्तरण के प्रकार, कायान्तरी श्रेणियां, क्षेत्र तथा संलक्षण, कायान्तरी शैलों की गठन, संरचनाएं तथा नाम पद्धतियां, महत्वपूर्ण शैल प्रकारों की शैलीकीय तथा सैलोत्पत्ति।
- आर्थिक भू-विज्ञान:-** अयस्क की धारणा, अयस्क खनिज तथा गैग, अयस्कों का औसत प्रतिशत, खनिज निषेपों के निर्माण की प्रक्रिया, अयस्क निषेपों के सामान्य आकृति तथा संरचनाएं, अयस्क निषेपों का वर्गीकरण, अयस्क निषेप का नियंत्रण, महत्वपूर्ण धात्विक तथा आधात्विक निषेपों का अध्ययन, छत्तीसगढ़ एवं भारत की खनिज सम्पद।
- पूर्वेक्षण एवं अन्वेषण:-** पूर्वेक्षण तथा अन्वेषण की परिभाषाएं एवं पद्धति का वर्गीकरण, भू-वैज्ञानिक, भू-भौतिकी, भू-रासायनिक, अन्वेषण की प्राथमिक पद्धति। अयस्क के मार्गदर्शक।
- थ्योडोलाइट सर्वेक्षण:-** थ्योडोलाइट के प्रकार, वर्नियर थ्योडोलाइट के विभिन्न भागों का वर्णन, थ्योडोलाइट से पहुंच एवं पहुंचविहीन स्थल की ऊंचाई एवं दूरी का मापन। थ्योडोलाइट से सतह एवं भूमिगत ट्रेवर्स, खुले एवं बंद ट्रेवर्स की पुष्टि, थ्योडोलाइट सर्वेक्षण में त्रुटि के स्त्रोत एवं उसके उपाय।
- सुदूर संवेदन:-** सुदूर संवेदन की शब्दावली, सुदूर संवेदन आंकड़ों के लाभ एवं हानि, सेटेलाइट आंकड़ों को प्राप्त करने की रीति, सुदूर संवेदन से संबंधित हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर।
- PART-2 (B) :: GEOLOGY (For Mining Inspector) ::**
1. **General Geology-** Elementary ideas of origin and interior of the Earth. Dating of rocks by radioactive methods; age of the Earth. Volcanoes - causes and products, volcanic belts, Earthquakes causes, geological effect and distribution, relation to volcanic belts. Geosynclines and their classification. Isostacy. Mountains types and origin, Brief ideas about continental drift. Origin of continents and oceans.
 2. **Geomorphology-** Relief features: topography and its relation to structures and lithology, Major landforms Drainage system. Geomorphic features of Indian subcontinents.
 3. **Structural Geology-** Folds, Faults - their nomenclature, classification recognition and their effect on outcrops. Joints-their classification and importance. Unconformity, overlap, offlap, outliers and inliers. Definition and classification of foliation and lineation. Top and bottom criteria for determining the direction of young formation.
 4. **Stratigraphy-** Principles of Stratigraphy. Stratigraphic Classification and nomenclature. Standard stratigraphical scale. Detailed study of various geological formations of Indian subcontinent. Brief study of climates and igneous activities in India subcontinent during geological past Paleogeographic reconstruction.

5. **Mineralogy**-Elements of crystal chemistry, types of bounding Ionic radii coordination number. Isomorphism and pseudomorphism. Structural classification of silicates, study of the following rock forming minerals with respect to the physical chemical and optical properties - feldspars pyroxenes, amphiboles Mica garnets, olivine feldspathoids, quartz, calcite kyanite andalusite sillimanite.
6. **Petrology**-Magma. Its generation, nature and composition simple phase diagrams of binary and ternary systems and their significance, Bowen's Reaction Principles, Magnetic differentiation, assimilation, Texture and structure and their petrogenetic significance. Classification of igneous rocks. Petrography and petrogenesis of important rock-types.
Processes of formation of sedimentary rocks. Digenesis and lithification. Texture and structures and their significance. Classification of sedimentary rocks. elastic and non-elastic Heavy Minerals and their significance in provenance studies Petrography of common rock types.
- Variables of metamorphism. Types of metamorphism, metamorphic grades, Zones and facies Textures, structures, and nomenclature of metamorphic rocks. Petrography and petrogenesis of important rock types.
7. **Economic geology**- Concept of ore, ore mineral gangue tenor of ores, processes of formation of mineral deposits common forms and structures of ore deposits. Classification of ore deposits, Controls of ore deposition, Study of important metallic and non metallic deposits, Mineral wealth of Chhattisgarh and India.
8. **Prospecting and Exploration**:- Prospecting and Exploration Their definitions and Classification of Methods; Elementary Methods of Geological, Geophysical, Geochemical Prospecting; Guides To Ores.
9. **Theodolite Surveying**:- Types of theodolites; Description of various parts of varneir Theodolite; Theodolites; Measurements of height and distance of accessible and inaccessible points; Traversing with Theodolite on surface and underground; Checks on Closed and Open traverses; Sources of errors and their prevention in survey.
10. **Remote Sensing**:- Terminology in Remote Sensing Advantage and Disadvantages of Remote Sensing Data, Procedure for Obtaining Satellite Data. Hardwares and Software related to Remote Sensing.



परिशिष्ट—तीन,

“ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं जानकारी”

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश निम्नानुसार हैं:-

(कृपया आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें)

ऑनलाइन आवेदन हेतु सक्रिय लिंक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर निर्धारित तिथियों में उपलब्ध रहेंगे।

- (1). ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में अभ्यर्थी को सर्वप्रथम एक Candidate's Registration पेज प्राप्त होगा। उक्त पेज में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मूल निवास, वर्ग, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई.डी. इत्यादि की प्रविष्टि करने पर, यदि अभ्यर्थी आयु सीमा की शर्तों को पूर्ण करता हो, तो उसे प्रविष्ट किए गए मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. पर ऑनलाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड सुरक्षित रखें। चयन के प्रत्येक स्तर पर रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड के प्रयोग से ही जानकारी प्राप्त करने अथवा प्रदान करने का कार्य किया जा सकेगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. न बदलें तथा उसे एक्टिव रखें। मोबाइल व /अथवा सिम खो जाने या खराब हो जाने की स्थिति में तत्काल मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी से संपर्क कर Candidate's Registration हेतु प्रयुक्त किए गए मोबाइल नम्बर को चालू करवाएं। आयोग द्वारा अन्य आवश्यक सूचनाएं उक्त मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. पर दी जाएंगी।
- (2). अभ्यर्थी अपने रजिस्टर्ड मोबाइल व ई-मेल आई.डी. पर प्राप्त रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड का प्रयोग कर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को समस्त आवश्यक जानकारियां दर्ज कर अपना फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। Submit बटन के माध्यम से पूरी तरह भरे गए ऑनलाइन आवेदन को जमा करने पर अभ्यर्थी को शुल्क भुगतान की प्रक्रिया हेतु पेज प्राप्त होगा, जिस पर उपलब्ध भुगतान विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर शुल्क भुगतान किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक शुल्क भुगतान कर लेने पर अभ्यर्थी को अपने आवेदन की रसीद प्राप्त होगी। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि निर्धारित शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक, प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन की पावति एवं भुगतान की रसीद का प्रिंट अपने पास रखना तथा आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (3). ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से लेकर अंतिम चयन की प्रक्रिया तक सभी आवश्यक सूचनाएं आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अभ्यर्थी नियमित रूप से उक्त वेबसाइट का अवलोकन करते रहे। किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी सूचना व्यक्तिगत रूप से पत्र /SMS वेने हेतु आयोग बाध्य नहीं होगा तथा इस आधार पर कोई भी अभ्यर्थी आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।
- (4). आवेदक स्वयं अपने घर से या इंटरनेट कैफे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान, निर्धारित भुगतान विकल्प चुनकर, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं।
- (5). ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु अभ्यर्थी के फोटोग्राफ संबंधी निर्देश:- आवेदक ऑनलाइन आवेदन हेतु विज्ञापन जारी होने की तिथि या उसके बाद की तिथि में खिचवाया हुआ पासपोर्ट साइज का फोटो अपने पास रखें। फोटो का बैकग्राउन्ड सफेद / हल्के रंग का होना चाहिए तथा फोटो में अभ्यर्थी की दोनों आंखें स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। फोटो के निचले हिस्से पर अभ्यर्थी का नाम तथा फोटो खिचवाने की तिथि प्रिंट की हुई होनी चाहिए। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार खिचवाए गए फोटो को स्कैन कर .JPG फाइल (अधिकतम
- (6). साइज 100KB) तैयार कर / करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्कैन करते समय केवल फोटो को ही स्कैन किया जाए, बैकग्राउन्ड (कागज जिस पर फोटो चिपकाया गया हो / Reflective Document Mat) को नहीं। अभ्यर्थी उक्त फोटो की 3 प्रतियां (Hard Copies) अपने पास अवश्य रखें। भविष्य में आयोग द्वारा निर्देशित किए जाने पर अभ्यर्थी को उक्त फोटो प्रस्तुत / प्रेषित करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु अभ्यर्थी के हस्ताक्षर संबंधी निर्देश:- ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर पृथक अपलोड करना होगा, इस हेतु अभ्यर्थी एक सफेद कागज पर काले बॉल पाइंट फेन से हस्ताक्षर करें। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार हस्ताक्षरित कागज को स्कैन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100KB) तैयार कर / करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्कैन करते समय केवल हस्ताक्षर को ही स्कैन किया जाए, बैकग्राउन्ड (कागज जिस पर फोटो चिपकाया गया हो / Reflective Document Mat) को नहीं।
- (7). ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन में चाही गई है की सही—सही प्रविष्टि की जाए।
- (8). आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन में अकित जो जा रही है वह प्रमाणित जानकारी है। अतः ऑनलाइन आवेदन Submit करने के पूर्व आवेदक अपने आवेदन की समस्त प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझ लें। आवेदक अपने द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होने के पश्चात ही ऑनलाइन आवेदन को Submit बटन विलक कर जमा करें तथा आवेदन शुल्क अदा करें।
- (9). ऑनलाइन आवेदन Submit करने के तथा शुल्क अदा करने के बाद अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन तथा भुगतान की रसीद प्राप्त होगी। जिन्हें प्रिंट कर अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें। चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों में मांगे जाने पर उक्त को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। सामान्यतः प्रवेश पत्र जारी होने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा भुगतान की रसीद उपलब्ध नहीं रहती है। अतः आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा / अथवा शुल्क भुगतान की रसीद उपलब्ध कराने हेतु दिए गए अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उसके द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान सफलता पूर्वक कर दिया गया है।
- (10). ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य निर्धारित तिथि में ऑनलाइन किया जा सकेगा। त्रुटि सुधार केवल एक बार ही किया जा सकेगा। अंतिम तिथि के पश्चात ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टि में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में आयोग किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा।
- (11). आवेदक यह ध्यान रखें कि विज्ञापित पद के आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार चयन के किसी भी स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। अतः अभ्यर्थी अपना आवेदन अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।
- (12). ऑनलाइन आवेदन / त्रुटि सुधार हेतु पोर्टल शुल्क :-
 - (i) प्रत्येक ऑनलाइन आवेदक के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क रुपये 30/- + जीएसटी शुल्क देय होगा।
 - (ii) ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदक द्वारा त्रुटि सुधार निर्धारित तिथियों में केवल एक बार निःशुल्क किया जा सकता है।
 - (iii) प्रवर्ग सुधार के मामलों में यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप

में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी ।

(iv) परीक्षा शुल्क तथा पोर्टल चार्ज किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं है ।

नोट:-

- (i) आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा शुल्क भुगतान की रसीद में दी गई जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और अपने पास संमालकर रखें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है ।
- (ii) जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता तथा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा ।
- (iii) किसी भी साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान के माध्यम से आवेदन करते समय आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपनी निगरानी में ही करवाएं । ऑनलाइन आवेदन में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान अथवा आयोग को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकेंगे ।
- (iv) कार्ड/नेटबैंकिंग/कैश डिपॉजिट के माध्यम से किसी भी शुल्क के भुगतान (यदि कोई हो) की प्रक्रिया में यदि संबंधित बैंक द्वारा किसी प्रकार का सेवा शुल्क लिया जाता है तो उसके भुगतान का दायित्व आवेदक का होगा । आवेदक ऑनलाइन बैंकिंग के दौरान फिशिंग/हैकिंग अथवा अन्य साइबर गतिविधि से बचने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे । ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा । परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा । ऐसा करने पर आवेदनों को मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा, और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जाएगी ।
- (v) **प्रवेश पत्र व साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र:-**
प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र परीक्षा/साक्षात्कार के लगभग 10 दिन पूर्व अपलोड किए जाएंगे एवं इसकी सूचना पृथक से नहीं दी जाएगी ।

- (2) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जाएंगे अपितु केवल आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध होंगे । इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा ।
- (3) किसी भी अन्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र न हो ।
- (4) अन्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पत्र के साथ **ID Proof** हेतु मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/आधार कार्ड/स्मार्ट कार्ड (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की योजना के तहत आरजीआई द्वारा जारी)/स्कारच्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड फोटो सहित (श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी)/जॉब कार्ड फोटो सहित (एनआरईजीए योजना के तहत)/सेवा पहचान पत्र फोटो सहित (शास्य/केन्द्र सरकार सर्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी)/पासबुक एवं किसान पासबुक फोटो सहित (सर्वजनिक क्षेत्र के बैंक/डाकघर द्वारा जारी)/छात्र पहचान पत्र (स्कूलों/कालेजों द्वारा जारी)/बीपीएल परिवार को जारी राशन कार्ड/संपत्ति के दस्तावेज फोटो सहित जैसे-पटा, पंजीकृत डिड्स/एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र फोटो सहित (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)/फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन किताब, भूतपूर्व सैनिकों की विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, बुद्धावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश/शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र फोटो सहित में से एक दस्तावेज लाना आवश्यक होगा, इसके अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।
- (5) यदि प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र पर मुद्रित फोटो व हस्ताक्षर अथवा दोनों अस्पष्ट या अवैध हो तो प्रवेश पत्र पर निर्देशानुसार कार्यवाही न करने पर केन्द्राध्यक्ष/जांच अधिकारी अन्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने से वंचित कर सकेंगे ।